A1

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**
**पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0**

**अपील इंतकाल प्रकरण सं0 38/14**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कानाराम पुत्र रामुराम जाति नायक निवासी चक 7 पी0एस0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

**अपीलांट**

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार, मुकलावा रायसिंहनगर।
2. राम लाल
3. शान्तीदेवी
4. हरी राम
5. कालीदेवी
6. कृष्ण लाल
7. राजादेवी
8. जगदीश
पुत्र – पुत्रियॉ स्व0 सरदारी देवी उर्फ शिंगारी देवी पुत्री मोहक्कम निवासीयान 17 पी0एस0 तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. जिन्दी पुत्री मोहक्कम राम जाति बाजीगर सा0 6 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

**रेस्पोडेन्टस**

**अपील विरूद्व इंतकाल सं0 439 दिनांक 14–08–13**
**नायब तहसीलदार, मुकलावा**

उपस्थित : **1.श्री कुलविन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण**
**2.श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1**
**3. श्री रामेश्वर सुथार, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2 से 9**

**आदेश** **दिनांक : 30–03–16**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट की बुआ शिंगारी के नाम से चक 17 पी एस तह0 रायसिंहनगर के खाता सं0 94/92 मु0 नं0 15 प0 नं0 163/82 के कुन 3–100 है0 बारानी में कि0 नं0 1 ता 3/1,8/1 ता 13/1 कि0 नं0 18/1 व 23/1 कुल 3 – 100 है0 में 0–620 है0 भूमि खातेदारी दर्ज थी व उक्त भूमि उसको मोहकम राम पुत्र जुगनूराम से मिली होने के कारण सरदारी ने उक्त रकबा की पंजीबद्व दस्तबदारी अपने भाई रामुराम के हक में दिनांक 30–4–09 को करवाई। सरदारी का नाम शिंगारी दर्ज होने के कारण दुरूस्ती कर इंतकाल सं0 459 दिनांक 26–3–14 अंकित हो चुका है। रेस्पो0 सं0 2 ता 8 ने गुपचाप तरीके से अपीलाधीन विरासतन इंतकाल दर्ज

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

करवा लिया। अपीलाधीन इंतकाल से स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही नोटिस जारी किये गये जबकि अपीलांट प्रभावित पक्षकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा बाबत जॉच नहीं की गई है। लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है और न ही इंतकाल नियमों की पालना की गई है। न ही आपति मॉगी गई है और न ही सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। मौके पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है। अपीलांट के हक में मृतक सरदारी ने दस्तबदारी अपने जीवनकाल में ही करवा दी थी। कब्जा के अभाव में रेस्पो0 सं0 2 ता 8 के पक्ष में विरासतन इंतकाल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त कर दस्तबदारी के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि रेस्पो0 सं0 2 ता 8 ने गुपचाप तरीके से अपीलाधीन विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया। अपीलाधीन इंतकाल से स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही नोटिस जारी किये गये जबकि अपीलांट प्रभावित पक्षकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा बाबत जॉच नहीं की गई है। लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है और न ही इंतकाल नियमों की पालना की गई है। न ही आपति मॉगी गई है और न ही सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। मौके पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है। अपीलांट के हक में मृतक सरदारी ने दस्तबदारी अपने जीवनकाल में ही करवा दी थी। कब्जा के अभाव में रेस्पो0 सं0 2 ता 8 के पक्ष में विरासतन इंतकाल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त कर दस्तबदारी के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पो. के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा कथित दस्तबदारी सरदारी देवी पुत्री मोहकम राम के द्वारा करवाना बताया गया है जबकि इंतकाल सरदारी देवी के नाम से दर्ज है। अपीलांट ने उक्त कथित दस्तबदारी अपने परिवार व भाईयों के सदस्यों को हक से महरूम करने के आशय से अकेले अपने पक्ष में फर्जकारी करके तैयार करवाई है। अपीलाधीन इंतकाल मोहकम राम के देहान्त के बाद मजमेआम में विरासतन दर्ज किया गया है जबकि शिंगारीदेवी की मृत्यू दिनांक 4–5–11 को हो चुकी थी। उक्त भूमि का बेचान शिंगारीदेवी के वारिसान द्वारा जिन्दी पत्नी गण्डाराम के नाम जरिये बैयनामा दिनांक 16–8–13 को किया गया है। उक्त भूमि का इंतकाल भी जिन्दीदेवी के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। वर्तमान में, पूर्व में, सरदारी देवी पुत्री मोहकम राम के नाम से राजस्व रेकार्ड में कोई भूमि नहीं है इसलिए अपीलांट के द्वारा सरदारी देवी के नाम से करवाई गई दस्तबदारी शून्य दस्तावेज है। कथित दस्तबदारी दिनांक 30–4–09 की है, सरदारी देवी की मृत्यू दिनांक 4–5–11 के बाद उसके आधार पर भूमि का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

3

नामान्तरण करवाना चाहिये था। अपीलांट ने अपनी सगी बुआ सरदारी देवी जिसका वास्तविक नाम शिंगारी देवी है, के पुत्र राम लाल जिसको अपील में रेस्पो0 सं0 2 पक्षकार बनाया गया है, की मृत्यू दिनांक 27–6–95 को होना जानते हुए भी पक्षकार बनाया गया था। तथ्यों को छुपाकर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन इंतकाल सं0 439 जो शिंगारी की मृत्यू के उपरांत विरासत दर्ज कर दिनांक 14–8–13 को स्वीकृत किया गया है, को प्रस्तुत अपील के माध्यम से चुनौति दे कर दस्तबदारी के आधार पर दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि हरीराम जो शिंगारी का पुत्र है ने दो पृथक पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसकी माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शिंगारी दर्ज है जबकि राशन कार्ड में सरदारी दर्ज है। शिंगारी व सरदारी नाम एक ही औरत के थे। उसकी माता व पिता का देहान्त हो चुका है। दूसरे शपथ पत्र में उक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 05.04.2002, सरपंच ग्राम पंचायत 17 केएनडी(ए) द्वारा जारी तस्दीक में उल्लेख किया गया है कि सरदारी देवी पत्नि लूनाराम जाति नायक साकिन 17 केएनडी''ए'' ग्राम पंचायत 17 केएनडी की निवासी थी जो कि इसको शिंगारी देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह दोनों नाम एक ही महिला के है। मृत्यु प्रमाण पत्र में शिंगारी पत्नि लूनाराम दर्ज है। अपील मिमो के पेज संख्या 02 में स्पष्ट वर्णित किया है कि ''सरदारी का नाम शिंगारी दर्ज होने के कारण इसकी बाबत दुरूस्ती करके इंतकाल संख्या 459 दिनांक 26.03.2014 को हो चुका है।'' इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं अपील मीमो में वर्णित तथ्यों से प्रंथम दृष्टया यही साबित होता है कि सरदारी देवी एवं शिंगारी देवी एक ही महिला के दो नाम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल शिंगारी की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन दर्ज किया जाकर दिनांक 14.08.2013 को स्वीकृत किया गया है जबकि पंजीकृत दस्तबदारी दिनांक 01.05.2009 को अपीलांट के पक्ष में सरदारी देवी द्वारा की जा चुकी थी। अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन इंतकाल से स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही नोटिस जारी किये गये जबकि अपीलांट प्रभावित पक्षकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा बाबत जॉच नहीं की गई है। लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है और न ही इंतकाल नियमों की पालना की गई है। न ही आपति मॉगी गई है और न ही सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। मौके पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है। अपीलांट के हक में मृतक सरदारी ने दस्तबदारी अपने जीवनकाल में ही करवा दी थी। चूंकि अपीलांट प्रभावित पक्षकार था। यदि अधीनसथ न्यायालय द्वारा विधिवत् सुनवाई की जाती तो निश्चित रूप से अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व दस्तबदारी का तथ्य प्रकाश में आ जाता। अतः मेरे विनम्र मत में अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)



करने के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 439 दिनांक 14.08.2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27–4–16 को उपस्थित हो। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 30–3–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल) 30/3/16
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)